सरल क्रमांक.....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880ए सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771.2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन नियुक्ति हेतु निविदा

निविदा फार्म का मूल्य
2000/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय रायपुर
खरीफ विपणन वर्ष 2013–14
सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय हेतु निविदा

फार्म कमांक.....

1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री	.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	....
4.	जिले के धान भंडारण केन्द्र/ईकाई का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है –	जिला .....
5.	निविदा फार्म का मूल्य–	2000.00 रूपये (वाणिज्य कर सहित) (रूपये दो हजार मात्र)
7.	निविदा फार्म क्रय/डाउनलोड का विवरण	मनी रसीद नम्बर/डी.डी. नंबर..... दिनांक .....राशि ..... जिला विपणन कार्यालय का नाम.....
8.	निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक .....2013 कार्यालयीन समय तक
9.	निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक एवं समय–	दिनांक.– .....2013 समय– दोपहर 2.00 बजे तक
10.	निविदा को खोले जाने की तिथि, समय एवं स्थान–	दिनांक–.....2013 समय– अपरान्ह् 3.00 बजे स्थान– जिला विपणन अधिकारी कार्यालय जिला– .....

टिप्पणी :–

1. यह निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 21 तक है।
4. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर नहीं भरे जावेंगे, सिर्फ जिला विपणन कार्यालय से क्रय निविदा दस्तावेज में ही निविदा भरकर प्रस्तुत की जावें।

जारीकर्ता कार्यालय.....
दिनांक.....

निविदा फार्म जारी करने वाले जारी अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

उदबोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषकों से धान खरीदी छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। संग्रहण केन्द्रों में धान के सुरक्षित भण्डारण की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मियों हेतु संग्रहण केन्द्रवार खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

1. इस हेतु निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है :–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप।
   - (IV) परिशिष्ट '5' जिलेवार कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची।
   - (VI) परिशिष्ट '6' **''सत्यनिष्ठा संधि''** (Integrity Pact) **का प्रारूप।**

निविदाकार से अनुरोध है कि इन दस्तावेजों को भली–भंति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट '3' में साफ–साफ अंकों एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित संग्रहण केन्द्र के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त निविदायें उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष निविदा कमेटी द्वारा खोली जोयेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश एवं शर्ते तथा मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्त, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर वाले निविदाकार से प्राप्त निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं होती है, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता है।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट '1' के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार को निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण का पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है।
7. कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें) प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ट– 1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं

1. छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ जिलो के संग्रहण केंद्रों/इकाईयों हेतु सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता हेतु 01 वर्ष की अवधि के लियें निविदा आमंत्रित की जा रही है। आवश्यकतानुसार अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।
2. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों में निम्नानुसार सुरक्षा गार्ड/गनमैन की अनुमानित आवश्यकता होगी । सुरक्षा गार्ड/गनमैन की डयूटी पालियों (Shift) में होगी ।
3. जिले में कार्यशील संग्रहण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 5 संलग्ल है।
4. निविदाकर्ता को निविदा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा बन्द कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी प्रपत्र लिफाफा एवं वित्तिय प्रपत्र लिफाफा लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना लिखे लिफाफा खोले नही जावेगे एवं निविदा अस्वीकृत होगी। उक्त दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफें में बन्द कर सील कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. सुरक्षागार्ड एवं गनमैन को आवश्यकतानुसार विपणन संघ की किसी भी इकाई में कार्यभारित किया जा सकता है।
6. छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ के पास यह अधिकार होगा कि, निविदा के निर्देशों एवं शर्तो के अधिन अनुबंध की अवधि आपसी सहमति के आधार पर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
7. निविदाकार एजेन्सी को सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय के संबंध में विगत तीन वर्षो का संतोषजनक एंव सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदाकर्ता का पंजीयन छ0ग0 राज्य के किसी भी जिले में होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, सेवा कर विभाग, भविष्यनिधि, ई.एस.आई. , ई.पी.एफ. इत्यादि तथा अन्य अनुसांगिक विभागों/संस्थाओं से वैध अनुज्ञप्ति/पंजीकृत होना आवश्यक होगा । निविदाकर्ता के पास वर्कमेन कमपनशेसन पॉलिसी होना अनिवार्य है।
10. निविदाकर्ता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र/ईकाई के लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) का बैक साल्वेन्सी पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः– भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्विस टैक्स, का भुगतान इत्यादि के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।
12. निविदाकर्ता को जिले के समस्त संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, किसी भी जिले के लिए आंशिक संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
13. निविदाकर्ता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र/ईकाई के लिए रूपये 5,000/–(रूपये पांच हजार मात्र) के मान से पृथक–पृथक अमानत राशि का किसी अनुसूचित बैक का डिमांड ड्राप्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से देय हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

14. निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित सुरक्षागार्डो/गनमैन के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशनिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । निविदाकर्ता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

15. निविदाकर्ता विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा । निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एंव निविदाकर्ता को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

16. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

17. उपरोक्त समस्त कंडिकायें अनुबंध की भाग होगी।

परिशिष्ट–2

भाग – ''क''

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

जारीकर्ता कार्यालय .....
जारी दिनांक .....

सरल क्रमांक .....
प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. मेरे द्वारा/हमारे द्वारा सुरक्षा गार्ड/गनमेन की निविदा प्रस्तुत की जा रही है, मेरा/हमारा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री	.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	....
4.	व्यवसाय की पेन संख्या – (विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	.....
5.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं. –	.....
6.	लेबर लाइसेन्स नं. एवं वैधता तिथि	.....
7.	भविष्य निधि, लाइसेन्स नं. एवं कोड नं. (विगत तीन वर्षो की भविष्य निधि जमा की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	.....
8.	ई.एस.आई. लाइसेन्स नं. एंव कोड नं.	.....
9.	सुरक्षा ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का छ.ग. राज्य का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	.....
10.	भागीदार फर्म होने की स्थिति में रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें	.....
11.	अमानत राशि का विवरण	1. ड्राफ्ट क्र..... 2.दिनांक ..... 3. बैंक का नाम.....

12.	निविदा फार्म का मूल्य का विवरण	1. मनी रसीद नं.....दिनांक..... 2. राशि रू. 2000/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) 3. जिला विपणन कार्यालय का नाम .....
13.	छ.ग. में संस्थान का आफिस एवं ब्रांच की सूची पृथक से संलग्न करें।	.....
14.	वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मी आपके अधिनस्थ कार्यरत है	सुरक्षा.गार्ड..... गनमेन .....
15	वर्तमान में कार्यरत सुरक्षाकर्मी/गनमेन किस–किस संस्थान में कार्यरत है की सूची संलग्न करें जिसमें संस्थान का नाम, स्थान था सुरक्षा गार्ड, गनमेन की संख्या दर्शित हों।	....
16	विगत तीन वर्षो का मार्कफेड/राज्य के संस्थान/ में कार्य का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	.....
17	विपणन संघ की मांग अनुसार आपके द्वारा सुरक्षा गार्ड/गनमेन कितने दिन में नियोजित किया जा सकता है?	.....
18	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों	1..... 2..... 3.....

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते है कि निविदा फार्म के साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही–सही है।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
फर्म का नाम .....
सील .....

परिशिष्ठ–3

भाग – ''ख''

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय हेतु निविदा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक.....

सरल कमांक..... **मूल्य 2000.00 रूपये**
(वाणिज्य कर सहित)

सुरक्षागार्ड/गनमैन हेतु निविदा फार्म

द्वारा :– दूरभाष :–कार्यालय.....
मेसर्स..... निवास.....
.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 (दिनांक 01.12.2013 से 30.11.2014 की अवधि) में सुरक्षा गार्ड प्रदाय हेतु दिनांक .....को आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिये दरें प्रस्तुत की जा रही है :–

क्र.	**जिले का नाम**	**संग्रहण केन्द्र का नाम**	**परिश्रमिक (कंसोलिडेटेड मासिक वेतन, भविष्य निधि, ई.एस. आई. बोनस, सर्विस टेक्स, बीमा, अन्य संवैधानिक देयताओं के साथ एवं एजेन्सी का कमीषन सहित) प्रति व्यक्ति**	
			सुरक्षागार्ड (प्रति व्यक्ति, प्रति माह, प्रति षिफ्ट)	**बंदुकधारी (प्रति व्यक्ति, प्रति माह, प्रति षिफ्ट)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1				
2				
3				

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

उपरोक्त कॉलम नंबर 4 एवं 5 में प्रस्तुत की गई प्रतिव्यक्ति पारिश्रामिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क मेरे द्वारा प्राप्त नही किया जा सकेगा। कार्यरत सुरक्षाकर्मियों की समस्त जवाबदारी मेरी होगी, किसी भी प्रकार के विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार की देयता एवं क्षतिपूर्ती की जवाबदारी विपणन संघ की नही होगी ।

संलग्न :– निविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....

परिशिष्ठ–4

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 50/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी .....जिला..... (छ.ग.) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स ....पक्ष कमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2013–14 (01.12.2013 से 30.11.2014) में संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा कार्य हेतु पक्ष क्र. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है।

2. यह कि, पक्ष क्र. 2 संविदा अविध 01.12.2013 से 30.11.2014 तक सुरक्षा कार्य के लिए वचनबद्ध है, जिसे आपसी सहमति पर आगे की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

3. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा कार्य करने हेतु उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों का नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो सहित पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. यह कि, पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क्र. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क्र. 2 के देयकों से वसूल की जावेगी।

5. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन हेतु स्वीकृत किये गये दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से 3 दिवस के भीतर पक्ष क्र. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर पक्ष क्र. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।

6. यह कि, पक्ष क्र. 2 को समय–समय पर कार्यानुसार सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की अतिरिक्त व्यवस्था पक्ष क्र. 1 के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्व की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले सुरक्षागार्ड एवं गनमैन पर लागू सभी श्रम नियम, बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

8. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास श्रम विभाग, सेवा कर विभाग, भविष्यनिधि, ई.एस.आई. , ई.पी.एफ. इत्यादि तथा अन्य अनुसांगिक विभागों/संस्थाओं से वैध अनुज्ञप्ति/पंजीकृत होना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता के पास वर्कमेन कमपनशेसन पॉलिसी होना अनिवार्य होगा।

9. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय के संबंध में विगत तीन वर्षो का संतोषजनक एंव सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन का अनुभव होना चाहिए। पक्ष क्र. 2 को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. यह कि, पक्ष क्र. 2 को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) के हिसाब से बैक साल्वेन्सी पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. यह कि, पक्ष क्र. 2 को सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः–भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्विस टैक्स, का भुगतान इत्यादि के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

12. यह कि, पक्ष क्र. 2 के द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो/गनमैन के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । पक्ष क्र. 2 का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

13. यह कि, पक्ष क्र. 2 को विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए पक्ष क्र. 2 जवाबदार होगा । पक्ष क्र. 2 द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो एवं गनमैन के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा पक्ष क्र. 2 की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एंव पक्ष क्र. 2 को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

14. सुरक्षागार्ड/गनमैन को कार्यावधि में साफसुथरी यूनिफार्म में ही कार्य संपादित करने होगे। सुरक्षाकर्मियों एंव गनमैन की संख्या घटाने एवं बढाने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

15. यदि पक्ष क्रमांक 2 द्वारा कार्य में शिथिलता/उदासीनता/लापरवाही परिलक्षित होने पर या उनके इस कार्य से विपणन संघ को किसी प्रकार की क्षति होती है तो अनुबंध निरस्त कर अन्य योग्य व्यक्ति/संस्था को कार्य सौंपा जायेगा एंव अमानत राशि जब्त करने का अधिकार विपणन संघ को होगा।

16. सभी प्रकार के कर/डयूटी जो कि केन्द्र/राज्य सरकार व स्थानीय संस्था द्वारा समय–समय पर लगाया जावेगा उसका वहन पक्ष क्रमांक 2 के द्वारा किया जावेगा।

17. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यू हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

19. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत सुरक्षागार्ड/गनमैन की सूची में कोई भी सुरक्षागार्ड/गनमैन मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।

20. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत सुरक्षागार्ड/गनमैन की सूची अनुसार उपस्थिति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सुरक्षागार्ड/गनमैन अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त सुरक्षागार्ड/गनमैन दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।

21. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।

22. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो यह कि पक्ष क्र. 2 के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।

23. पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रत्येक कार्यरत सुरक्षागार्ड/गनमैन का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूची सहित प्रस्तुत करेंगा तथा जारी किए गए सुरक्षागार्ड/गनमैन के परिचय पत्र हमाल ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी सुरक्षागार्ड/गनमैन को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नही दिया जावेगा।

24. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

25. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी :–**
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....

''परिशिष्ट – 6''

खरीफ वर्ष 2013–14 में भंडारण केन्द्र

क्र.	जिले का नाम	भंडारण केन्द्र का नाम
1	2	3
1	रायपुर	अभनपुर
		कुरूदभाठा लखौली
		खरोरा
		जौदा राजिम
		तिल्दा
		धरसीवा
		लखौली
2	बलौदा–बाजार	कसडोल
		ब. बाजार
		भटगांव
		भांटापारा
3	गरियाबंद	कुडेलभाटा
4	महासमुंद	पिथौरा
		बसना
		बागबाहरा
		महासमुंद
		सरायपाली
5	धमतरी	चिटौद
		नगरी सिहावा
		भाखारा
		भाठागांव (कुरूद)
		भोयनृ
6	दुर्ग	करंजा भिलाई +बासीन
		कौडिया
		जेवरा–सिरसा
		सेलूद फड़
7	बालोद	जगतरा फड़
		फुंडा भांटा
		माली घोरी
8	बेमेतरा	बीजाभांठा
		लेजवारा (सरदा)
9	राजनांदगांव	कलकसा
		घोटिया
		ठेलकाडीह
		तिलई
		नागरकोहरा+ कलकसा
		बांधाबाजार
		मदुराकुही
		सिंघौला
10	कवर्धा	बाजार चार भांटा

11	बिलासपुर	पेड्रा रोड
		बिल्हा
		भरनी भांटा
		मस्तुरी
		मोपका
		सेमरताल
12	मुगेली	मुंगेली
		लेरमी
13	कोरबा	कटघोरा
		डोगरी भांठा
14	जांजगीर	अकलतरा 2 मुलमुला
		कृषि उपज मंडी चांपा
		बोडा सागर
		बोडा सागर 2 (सेरो)
		मंडी प्रागण सक्ती
		मनोहरभाठा जांजगीर
		मिल प्रागण जांजगीर
		शा. भूमि अकलतरा
		शा. भूमि डभरा
		सक्ती 2 (जेठा)
15	रायगढ़	खरसिया
		बरमकेला
		मेडिकल कां.ग्रा. लोहरसिंग
		हरदी
16	जशपुर	पत्थलगांव
17	सरगुजा	अंबिकापुर
		सीतापुर
18	सूरजपूर	सूरजपूर
19	कांकेर	कांकेर
		भानुप्रतापपुर
		लखनपुरी
20	बस्तर	जगदलपुर
21	कोडागांव	कोडागांव
22	दंतेवाडा	गीदम

''परिशिष्ट – 6''

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall

entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12.OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on .....

BUYER/PRINCIPAL
BIDDER/SELLER/CONTRACTOR
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness	**Witness**
1) _____	**1)** _____
2) _____	**2)** _____